रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 2008/ज्येष्ठ 1, 1930
No. 688] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2008/JYAISTHA 1, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का.आ. 1185(अ).—दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति बदर दुरेज़ अहमद की अध्यक्षता में गठित अधिकरण, जिसको विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अंतर्गत न्यायनिर्णय करने संबंधी मामला भेजा गया था कि संगमों नामशः मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ), यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी), कांगली याओल कानबा लुप (केवाईकेएल) और मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, के दिनांक 09-05-2008 के आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसार आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[फा. सं. 11011/42/2007-एन ई-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

माननीय न्यायमूर्ति श्री बदर दुरेज़ अहमद, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट

मणिपुर के निम्नलिखित मैतेई उग्रवादी संगठनों अर्थात् :

1. पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे सामान्यत: पी एल ए के नाम से जाना जाता है;

2. रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ);

3. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ);

4. पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;

5. कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है;

6. कांगली याओल कानबा लुप (केवाईकेएल); और

7. मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ)

को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगम" घोषित किए जाने के मामले में :

1. भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर के मैतेई उग्रवादी संगठनों, अर्थात् (1) पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे पीएलए नाम से जाना जाता है; (2) रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट (आरपीएफ); (3) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ); (4) पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (पीआरईपीएके) और इसके सशस्त्र अंग, "रेड आर्मी"; (5) कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (केसीपी) और इसके सशस्त्र अंग जिसे "रेड आर्मी" भी कहा जाता है; (6) कांगली याओल कानबा लुप (केवाईकेएल); और (7) मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) के साथ-साथ इनके सभी घटकों, शाखाओं और अग्रणी संगठनों (जिन्हें इसमें इसके बाद "मैतेई उग्रवादी संगठन" कहा गया है) को अपनी दिनांक 13-11-2007 की अधिसूचना के तहत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था।

2. उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र सरकार का यह मत है कि यदि मैतेई उग्रवादी संगठनों की विधिविरुद्ध

गतिविधियों पर तत्काल अंकुश तथा नियंत्रण नहीं लगाया गया तो उन्हें निम्नलिखित के अवसर प्राप्त हो जाएंगे :–

(i) अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी, आतंकवादी एवं हिंसक गतिविधियों को तेज करने के लिए अपने काडरों को एक जुट करना;

(ii) भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकर ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विस्तार करना;

(iii) आम नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि करना तथा पुलिस और सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अधिक मात्रा में अवैध शस्त्रों एवं गोलाबारूद प्राप्त करना तथा जुटाना;

(v) अपनी विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से बड़ी तादाद में जबरन धन ऐंठना तथा निधियां इकट्ठी करना।

3. आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि इन उग्रवादी संगठनों ने खुलेआम यह घोषणा की है कि उनका उद्देश्य मणिपुर राज्य को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र मणिपुर राष्ट्र का गठन करना है और वे ऊपर उल्लिखित अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सशस्त्र साधनों का इस्तेमाल तथा प्रयोग कर रहे हैं। ये सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और मणिपुर की आम जनता पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये अपने संगठनों के लिए निधियां इकट्ठा करने के लिए डराने, धमकाने, जबरन धन ऐंठने तथा आम जनता से लूटपाट करने के कृत्यों में शामिल रहे हैं। ये अपने अलगाववादी उद्देश्य को हासिल करने के प्रयोजन से जनमत को प्रभावित करने तथा शस्त्रों एवं प्रशिक्षण के रूप में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों में अपने सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास भी करते रहे हैं और ये सुरक्षित शरण-स्थली, प्रशिक्षण तथा हथियार गोलाबारूद के गुप्त तरीके से प्रापण के प्रयोजन से पड़ोसी देशों में शिविर बनाए हुए हैं। उपर्युक्त कारणों और आधार पर केन्द्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त संगठन विधिविरुद्ध संगम है।

4. भारत सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत मैतेई उग्रवादी संगठनों को दिनांक 13-11-2007 से 2 वर्ष की अवधि के लिए "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करते समय निम्नलिखित आधरों पर भी विचार किया है :

(i) मणिपुर को भारत से अलग करने की नीति को अपनाना जारी रखना;

(ii) भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता जारी रखना;

(iii) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के तौर पर सशस्त्र कार्रवाई के माध्यम से हिंसा और भय बनाए रखना;

(iv) व्यवसायियों, व्यापारियों और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों सहित जनता से अत्यधिक अवैध कर-वसूली और जबरन धन-वसूली करना;

(v) अन्य पूर्वोत्तर विद्रोही गुटों के साथ संपर्क रखना और उन्हें समर्थन देना और पड़ोसी देशों के साथ संपर्क रखना;

(vi) गुप्त माध्यमों द्वारा या विभिन्न सुरक्षा बलों से छीनकर बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों और गोलाबारूद का प्रापण।

5. केन्द्र सरकार ने दिनांक 13 नवम्बर, 2007 की अपनी अधिसूचना सं. 1922(अ) के माध्यम से मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया था। केन्द्र सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 2114(अ) के तहत यह न्याय निर्णय करने के लिए इस अधिकरण का गठन किया कि क्या उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं जैसा कि इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित है।

6. उपर्युक्त संदर्भ भेजे जाने के पश्चात् अधिकरण ने इस अधिनियम की धारा 4 (2) के उपबंध के अनुसरण में दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 के आदेश के तहत उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को इस संबंध में एक कारण बताओं नोटिस जारी करने का निदेश दिया कि वे इस नोटिस की तामिली की तारीख से 30 दिन के भीतर यह बताएं कि क्यों न उक्त संगठनों को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाय और क्यों न अधिनियम की धारा 1(3) के तहत इस घोषणा की पुष्टि हेतु आदेश दिए जाएं। अधिकरण ने यह भी निदेश दिया कि उक्त संगठनों को नोटिस की तामीली निम्न तरीकों से की जाए :–

(i) उपर्युक्त संगमों को उनके प्रधान कार्यालयों यदि कोई हों, के मुख्य भाग पर नोटिसों की प्रतियां चिपकाकर की जाए;

(ii) मैतेई उग्रवादी संगठनों को दैनिक समाचार पत्रों, एक अंग्रेजी के तथा एक स्थानीय भाषा के ऐसे स्थानीय समाचार पत्र, जिसका परिचालन मणिपुर तथा बाहरी राज्यों जहाँ इन संगठनों के ठिकाने हैं या इनकी उपस्थिति है, में होता हो, प्रकाशन द्वारा भी नोटिसों की तामीली की जानी चाहिए;

(iii) ऐसे क्षेत्र जहां संगठन की गतिविधियाँ चल रही हों वहां पर नोटिसों की तामीली ढोल बजाकर तथा लाउडस्पीकरों द्वारा उद्घोषणा करके की जानी चाहिए;

(iv) मैतेई उग्रवादी संगठनों के पदाधिकारियों को उनके पतों पर नोटिस दिए जाने चाहिएं अथवा यदि वे नजरबंद हों तो संबंधित अधीक्षक(जेल) द्वारा एवं दो राष्ट्रीय समाचारपत्रों, एक अंग्रेजी तथा एक क्षेत्रीय भाषा के प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र जिसका मणिपुर राज्य में परिचालन होता हो में प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी किए जाने चाहिएं;

(v) आकाशवाणी पर घोषणा करके तथा मणिपुर राज्य में स्थानीय प्रसारण एवं ट्रांसमिशन केन्द्रों द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारण द्वारा;

(vi) जहाँ तक व्यवहार्य हो, जिला अथवा तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक जिला न्यायाधीश/तहसीलदार के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर भी इनकी तामीली की जानी चाहिए।

7. अधिकरण ने अपने पंजीयक को भी नोटिसों की तामीली का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया। नोटिसों की तामीली के संबंध में पंजीयक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी। मणिपुर राज्य तथा भारत संघ द्वारा भी तामीली संबंधी शपथपत्र दाखिल किए गए थे।

8. अधिकरण, रिकार्डों में उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त अधिकरण के पंजीयक की रिपोर्ट से इस बारे में अधिकरण संतुष्ट हो गया था कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 6 में यथानिर्धारित निर्देशों के अनुसार पूर्वोक्त संगठनों/संघों को उपयुक्त ढंग से नोटिसों की तामीली कर दी गई है।

9. दिनांक 20-12-2007, 8-2-2008 तथा 10-3-2008 के आदेशों द्वारा मैतेई उग्रवादी संगठनों को अपने उत्तर/शपथ-पत्र दाखिल करने और सुनवाई की तारीखों पर अधिकरण के समक्ष स्वयं को पेश किए जाने के लिए दिए गए तमाम अवसरों के बावजूद, कोई भी संगठन अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ है और न ही नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई कारण दर्शाया गया है।

10. दिनांक 4-4-2008 को शिलांग में हुई अधिकरण की सुनवाई में मणिपुर सरकार के निम्न अधिकारियों द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्रों की जांच की गई और उनके बयानों को रिकार्ड किया गया :

एडब्ल्यू-1 श्री एम. याईस्कुल मैतेई, संयुक्त सचिव (गृह) मणिपुर सरकार;

एडब्ल्यू-2 श्री योगेशचन्द्र हाओबीजाम, एसडीपीओ, थोबल, इम्फाल;

एडब्ल्यू-3 श्री एन. मणिमोहन सिंह, एसडीपीओ, जीरीबाम, मणिपुर;

एडब्ल्यू-4 श्री इशाक शाह, एसडीपीओ, विष्णुपुर जिला, मणिपुर;

एडब्ल्यू-5 डॉ. अकोईजाम झालाजीत सिंह, एसडीपीओ, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर;

एडब्ल्यू-6 श्री मोह. फिरोज़ खान, एसडीपीओ, चन्देल, मणिपुर।

11. गृह मंत्रालय में निदेशक श्री आर. आर. झा का साक्ष्य शिलांग में हुई उक्त सुनवाई में उनके परिवार में शोक के परिणामस्वरूप रिकार्ड नहीं किया जा सका और 21 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में ए डब्ल्यू-7 के रूप में उनका साक्ष्य रिकार्ड किया गया।

12. उनकी मुख्य जांच के दौरान, इन सभी गवाहों ने अपने संबंधित शपथ-पत्रों पर अपने-अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया और इनमें उल्लिखित सभी प्रदर्शों के साथ अपने शपथ-पत्र प्रस्तुत किए और उनके साक्ष्य के एक हिस्से के रूप में इनके साथ संलग्न किए।

13. पूर्वोक्त मैतेई संगठनों के लिए कोई भी यथापूर्वोक्त अवसरों के बावजूद गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ। इसलिए गवाहों को छोड़ दिया गया। चूंकि इस अधिकरण अथवा इसके पंजीयक किसी के द्वारा पूर्वोक्त उग्रवादी संगठनों से कोई प्रतिवेदन, संदेश अथवा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए साक्ष्य को समाप्त कर दिया गया।

14. भारत संघ की ओर से श्री पी. पी. मल्होत्रा, ए एस जी तथा श्री राजीव मेहरा और मणिपुर की ओर से श्री के. एच. नोबिन सिंह द्वारा जिरह की गई। अधिवक्ताओं ने दिनांक 13 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है जिसके द्वारा पूर्वोक्त मैतेई उग्रवादी विधिविरुद्ध संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया था।

15. मैंने रिकार्ड में रखे गए सभी दस्तावेजी साक्ष्यों और भारत संघ तथा मणिपुर राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों एवं मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन किया है।

16. ए डब्ल्यू-1 [श्री एम. याईस्कुल मैतेई, संयुक्त सचिव (गृह), मणिपुर सरकार] ने अपने साक्ष्य शपथ-पत्र में यह कहा है कि मणिपुर में विद्रोहवाद की समस्या कई वर्षों से मौजूद है और पूर्वोक्त मैतेई उग्रवादी संगठन की देन है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य मणिपुर को भारत संघ से अलग करना तथा एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न देश बनाना है। दूसरे शब्दों में, भारत के प्रभुत्व से मणिपुर राज्य को स्वतंत्र कराना है। उक्त गवाह द्वारा आगे यह वक्तव्य दिया गया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उक्त मैतेई उग्रवादी संगठन विभिन्न विधिविरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं जैसे डराना-धमकाना, आम जनता से धन की जबरन वसूली करना, भोले-भाले लोगों, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा बलों से संबंधित कार्मिकों की हत्या जैसे कृत्यों द्वारा लोगों में दहशत पैदा करना, फिरौती के प्रयोजनार्थ उच्च रैंक के सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों तथा धनी परिवारों के सदस्यों का अपहरण और अगवा करना। यह भी कहा गया है कि उक्त मैतेई उग्रवादी संगठनों को विदेशों से शरण और आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्रों और गोलाबारूद के प्रापण के रूप में सहायता मिलती रही है।

17. रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के संबंध में, यह बताया गया है कि म्यांमार में तथा भारत-म्यांमार सीमा पर इन संगठनों के प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह भी बताया गया है कि आर पी एफ एक राजनीतिक इकाई है और पी एल ए एक सशस्त्र इकाई है। ये दोनों इकाइयाँ एक ही संगठन के अंग हैं। यह बताया गया है कि इन दोनों इकाइयों की सम्मिलित शक्ति करीब 2000 व्यक्ति की है जिनमें करीब 100 महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं और इनकी कार्यप्रणाली दुपहिया वाहनों पर घूमना या छोटे हथियारों या स्वचालित हथियारों की सहायता से शहर या उसके बाहरी इलाकों से चार पहिया वाहनों का अपहरण कर लेना है। यह भी बताया गया है कि इन इकाइयों के सदस्य लड़ाकू वेशभूषा में हथियारों के साथ खुले तौर पर समूहों में घूमते हैं और पुलिस चौकियों, सीमा चौकियों पर हमला करते हैं और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते हैं। इन इकाइयों के यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के उल्फा, टी पी डी एफ, के वाई के एल, के सी पी इत्यादि जैसे अन्य इसी प्रकार संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं। यह एम पी एल एफ (मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट), जिसकी स्थापना 01-03-1999 को पी आर ई पी ए के, आर पी एफ और यू एन एल एफ के अध्यक्षों के द्वारा एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुई, का भी सदस्य है। एडब्ल्यू-1 द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि इन दो इकाइयों के पास ए के/47, ए के/56, ए के/86, एम-16, एम-18, एम-21/22, एम/20, एम/23, लाइट मशीनगन और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे करीब 1000 से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार हैं तथा इसके साथ ही करीब 2000 अन्य हथियार भी हैं।

18. यू एन एल एफ, पी आर ई पी ए के, के वाई के एल और के सी पी के संबंध में उक्त ए डब्ल्यू-1 के द्वारा इसी प्रकार के बयान दिए गए हैं।

19. जहाँ तक, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ) का संबंध है, ए डब्ल्यू-1 द्वारा बताया गया है कि यह संगठन पी आर ई पी ए के, यू एन एल एफ और आर पी एफ का संयुक्त संगठन है। इस संगठन के प्रकट उद्देश्य और ध्येय क्रांतिकारी पार्टियों में एकता के अभाव के कारण मुक्ति की धीमी प्रगति को समाप्त करना है जिसके कारण जनता में भ्रम फैला हुआ है; एक स्थायी समिति गठन करना जिसमें प्रत्येक अग्रणी संगठन के दो-दो प्रतिनिधि होंगे जो कि सामान्य नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे; एक कार्यकारी समिति का बनाना, जो कि एम पी एल एफ के निर्णयों को लागू करेगा; वित्तीय मामले समिति द्वारा देखे जाने वाले वित्तीय नीतियों और कार्यक्रमों का एकीकरण।

20. ए डब्ल्यू-1 के साक्ष्य शपथपत्र के साथ, मैतई उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध 13-11-2005 से 30-6-2007 की अवधि के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की गई हैं और उन्हें प्रदर्श पी/1 (1) से पी/1 (79) के रूप में चिन्हित किया गया है। रोकड़ प्राप्ति की रसीदें, प्रैस रिलीजें, भारत के स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का आह्वान, आर पी एफ/पी एल ए द्वारा जारी किए गए नॉन-इमीग्रेंट रेज़िडेंशियल परमिट्स, यू एन एल एफ मणिपुर के प्रचार विभाग द्वारा जारी की गई यू एन एल एफ की केन्द्रीय समिति के वार्षिक विवरण भी अंग्रेजी और मणिपुरी में और के सी पी द्वारा जारी किए गए माँग-पत्र भी प्रदर्श पी/2 (1) से पी/2 (48) के रूप में दर्शाए गए हैं। मैतई उग्रवादी संगठनों की गतिविधियों को दर्शाने वाली समाचार-क्लिपिंग्स साक्ष्य के रूप में दर्शाए गये हैं और उन्हें प्रदर्श पी/3 (1) से पी/3 (20) के रूप में चिन्हित किया गया है।

21. ए डब्ल्यू-1 के द्वारा बयान दिया गया है कि मणिपुर सरकार और भारत सरकार द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद वे इन संगठनों द्वारा किए जाने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। ऐसा विगत में बताया गया है कि इन संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, अत: इन संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने की आवश्यकता आज भी है जिससे कि मणिपुर सरकार कानून और व्यवस्था की समस्या को प्रभावशाली ढंग से निपट सके।

22. ए डब्ल्यू-2 (श्री जोगेशचन्द्र हाओबीज़म, एस डी पी ओ, थोबाल, मणिपुर) ने दिनांक 05-03-2008 के शपथपत्रों के जरिए बयान दिया कि वे भा. द. सं. की धारा 302/34, 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 16 (1) (क) यू ए (पी) अधिनियम 2004 के अंतर्गत प्राथमिकी मामला सं. 109 (8) 06 टी बी एल पुलिस थाना के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले के संक्षिप्त तथ्य असम रायफल्स के नायक सूबेदार (सामान्य ड्यूटी) अजीत संगमा की मृत्यु से जुड़े हैं जिनकी 09-08-2006 को लगभग 06.40 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 पर वांगजिंग के निकट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई ई डी) के विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई थी। उक्त एडब्ल्यू-2 ने बताया कि जांच और पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति समन्दराम जगत सिंह ने खुलासा किया कि वह यू एन एल एफ का एक सक्रिय सदस्य था। आगे यह कहा गया है कि उक्त अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उपर्युक्त ने अपराध को अंजाम देना स्वीकार किया और यह भी माना कि वह अन्य बातों के साथ-साथ क्रमश: भा. द. सं. की धाराओं 307/34 और 302/34 के अंतर्गत अन्य मामलों में भी शामिल था।

23. इसी प्रकार, ए डब्ल्यू-2 का दूसरा शपथपत्र भा. द. सं. की धारा 302/307/326/395/427/34, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 25 (1-ग) क.अधिनियम और 16 (1) (क)/20 यू ए (पी) अधिनियम, 04 के अंतर्गत प्राथमिकी मामला सं. 24 (2) 06 टी बी एल पुलिस थाना से संबंधित है। उक्त मामला निरीक्षक एन. लोखोन सिंह ओ सी-सी डी ओ/थोबाल और उसके दल पर उस समय घात लगाकर हमला किए जाने से संबंधित है जब वह उन्हें आबंटित जिप्सी वाहन में गश्त लगा रहे थे। कथित घटना 20-02-2006 को हुई बताई जाती है और यह कहा गया है कि उक्त गश्त दल पर गोली चलाने के अतिरिक्त हथगोले भी फेंके गए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ 5 मिनट तक चली। मुठभेड़ में एक अज्ञात युवक मारा गया और उसके पास एक एम-20 पिस्तौल तथा इसके 10 राउंड कारतूस बरामद हुए। उस घटना में गश्त दल के निरीक्षक एन. लोखोन सिंह, मो. नूर मोहम्मद तथा मो. मुज़ीबुर्रहमान को चोट लगने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तीन अन्य अनुरक्षक कार्मिक भी जख्मी हो गए।

24. ए डब्ल्यू-3, ए डब्ल्यू-4, ए डब्ल्यू-5 और ए डब्ल्यू-6 ने भी इसी प्रकार विभिन्न एफ आई आर के संबंध में बयान दिए हैं।

25. ए डब्ल्यू-7 (श्री आर आर झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली) ने केन्द्र सरकार की तरफ से बयान दिए। उन्होंने अपने साक्ष्य हलफनामे में कहा है कि मणिपुर में मैतेई अधिसंख्य आधिपत्य वाला समुदाय है तथा कुल जनसंख्या का 60% से अधिक है। मैतेई उग्रवादी संगठन स्वतंत्र मणिपुर के निर्माण के घोषित उद्देश्य के साथ पृथकतावादी आंदोलन में शामिल हैं। यह कहा गया है कि यूएनएलएफ, पीएलए और पीआरईपीएके मिलकर एक-छत्र संगठन बनाते हैं जिसका नाम मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलएफ) है। आगे यह भी कहा गया है कि मैतेई उग्रवादी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र साधनों का प्रयोग करते हैं तथा सुरक्षा बल उनका मुख्य निशाना रहते हैं। ए डब्ल्यू-7 ने आगे कहा कि मैतेई उग्रवादी संगठन व्यवसायियों, व्यापारियों, अन्य नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों से मोटी रकम वसूल करते हैं। वर्ष 2007 के दौरान (30-06-2007 तक) उक्त संगठन राज्य में कुल हत्याओं में से 71% तथा कुल हिंसक घटनाओं में से 68% के लिए जिम्मेदार थे तथा मणिपुर में ठेकेदारों, नौकरशाहों और मणिपुर के राजनैतिक शख्सियतों को डरा-धमकाकर विकास के लिए नियत सरकारी निधियों की लूट-खसोट में शामिल रहे हैं। ए डब्ल्यू-7 द्वारा यह भी कहा गया है कि ये संगठन प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आयोजनों का बहिष्कार करते रहे हैं। इन संगठनों की हिंसक गतिविधियों के कारण मणिपुर की आम जनता में एक मानसिक भय व्याप्त है जिससे राज्य में आर्थिक विकास की गति बाधित हुई है। वर्ष 2007 में 21-06-2007 तक संगठनों द्वारा की गई मुख्य घटनाओं का ब्यौरा उक्त हलफनामे के अनुलग्नक-1 में साक्ष्य के रूप में दिया

गया है। इसमें 101 अलग-अलग घटनाओं को शृंखला के रूप में कालक्रम में दिया गया है जिनमें एक या अधिक उक्त मैतेई संगठन शामिल रहे हैं।

26. उक्त ए डब्ल्यू-7 ने भी इस आशय का बयान दिया है कि मैतेई संगठन एक-दूसरे के साथ तथा अन्य पूर्वोत्तर उग्रवादी संगठनों जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन) के इजाक मुइवा गुट-खपलांग गुट, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए), ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (एटीटीएफ) और नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ निकट संबंध रखते हैं। उक्त गवाह ने यह भी बयान दिया कि पीएलए/आरपीएफ, यूएनएलएफ, पीआरईपीएके, केसीपी, केवाईकेएल और एमपीएलएफ के पड़ोसी देशों जैसे बंगलादेश और म्यांमार में शिविर हैं। चीन और थाइलैंड के अतिरिक्त ये इन देशों से हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करते हैं। वे अपनी विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए सहायता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी तत्वों के साथ सम्पर्क स्थापित करने एवं उसे बनाए रखने के प्रयास जारी रखते हैं।

27. मैंने उन गुप्त दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है जो केन्द्र सरकार ने सील कवर में दिए थे।

28. केन्द्र सरकार और मणिपुर सरकार की तरफ से दिए गए साक्ष्य परस्पर विरोधी नहीं है। अभिलेख में कुछ भी उनका खंडन करने योग्य नहीं है। मेरे पास मौखिक साक्ष्यों और साक्ष्य हलफनामों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों और विभिन्न गवाहों के बयानों पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है।

29. सभी साक्ष्यों और अभिलेख की पूरी सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, मेरा यह मानना है कि मैतेई उग्रवादी संगठनों को विधिविरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त कारण था परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 (1) के अंतर्गत जारी दिनांक 13-11-2007 की अधिसूचना संख्या 1922(अ) में की गई घोषणा की पुष्टि की जाती है।

09-05-2008 बदर दुरेज़ अहमद, अधिकरण

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2008

S.O. 1185(E).—In terms of section 4 (4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order, dated 09-05-2008, of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Badar Durrez Ahmed, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the MEITEI Extremist Organisations, viz. Peoples' Liberation Army (PLA), Revolutionary Peoples' Front (RPF), United National Liberation Front (UNLF), Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK), Kangleipak' Communist Party (KCP), Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), of Manipur as unlawful, is published for general information:

[F. No. 11011/42/2007-NE-III]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Report of the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal Presided Over by Hon'ble Mr. Justice Badar Durrez Ahmed, Judge of Delhi High Court

In the Matter of :

Declaration of the Meitei Extremist Organisations of Manipur namely :—

1. The Peoples Liberation Army generally known as PLA;
2. The Revolutionary Peoples Front (RPF)
3. The United National Liberation Front (UNLF)
4. The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, also called the "Red Army";
5. The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army";
6. The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and
7. The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF)

"To be Unlawful Associations" under Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (37 of 1967);

1. The Government of India in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as "the Act") declared the MEITEI Extremist Organisations of Manipur, namely: (1) The Peoples' Liberation Army known as PLA; (2) The Revolutionary Peoples Front (RPF) ; (3) The United National Liberation Front (UNLF); (4) The Peoples' Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing, the "Red Army"; (5) The Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing, also called the "Red Army" ; (6) The Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) (7) The Manipur Peoples' Liberation Front (MPLF), along with all their factions, wings and front organisations (hereinafter referred to as "the MEITEI Extremist Organizations") as Unlawful Associations vide its notification dated 13-11-2007.

2. It is stated in the said notification that the Central Government is of the opinion that if the Unlawful Activities of the MEITEI Extremist Organizations are not curbed and controlled immediately, they would take the opportunity of :

"(i) mobilizing their cadres for escalating their secessionist, subversive, terrorist and violent activities;

(ii) propagating anti-national activities in collusion with forces inimical to the sovereignty and integrity of India;

(iii) indulging in increased killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;

(iv) procuring and inducting more illegal arms and ammunitions from across the international border;

(v) extorting and collecting huge funds from the public for their unlawful activities.

1866 GI/08-2

3. It is further stated-that these extremist organizations have openly declared the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India as their objective and they have been employing and engaging in armed means to achieve the aforesaid objectives, they have been attacking the security forces, the police, the government employees and law abiding citizens in Manipur. They have been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilians for collection of funds for their organizations, they have been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective and they have been maintaining camps in neighboring countries for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurements of arms ammunitions. It is further submitted that the activities of the MEITEI Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India. For the aforesaid reasons and grounds, the Central Government came to the conclusion that the said organizations were unlawful associations.

4. The Government of India while declaring the MEITEI Extremist Organisations as "Unlawful Associations" under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, for a further period of two years w.e.f. 13-11-2007, also considered the following points :—

(i) Continued espousal of the policy of secession of Manipur from India;

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(iii) Continued adoption of violence and terror through armed action as a means of achieving their objective;

(iv) High level of extortion and illegal collection from the public including businessmen, traders and even Government employees;

(v) Links and support to other North-East insurgent groups and with neighbouring countries;

(vi) Procurement of large quantities of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels or by snatching from police and security forces.

5. The Central Government declared the MEITEI Extremist Organization as Unlawful Association vide its notification no. 1922 (E) dated 13th November, 2007. The Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, constituted this Tribunal vide Gazette Notification No. S.O. 2114 (E) dated 10th December 2007, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the said MEITEI Extremist Organisations to be Unlawful Organisations as required by Sub-section (1) of Section 4 of the Act.

6. On the aforesaid reference having been made, this Tribunal vide order dated 20th December, 2007 in pursuance of the provision of Section 4(2) of the Act, issued notice to the aforesaid MEITEI Extremist Organisations to show cause within 30 days from the date of the service of the said notices as to why the said Organizations should not be declared unlawful and as to why orders should not be made confirming the declaration made under Section 1(3) of the Act. This Tribunal also directed that the notices would also be served in the following manner :

(i) Copies of the notices be affixed at some conspicuous part of the offices, if any, of the above Associations;

(ii) Notice be also served on MEITEI Extremist Organizations by publication in (daily newspapers, one in English and one in a prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the locality where they have their establishments of presence as is known in the State of Manipur and outside;

(iii) By proclaiming by beat of drums or by means of loudspeakers, the contents of the notice in the area in which the activities of the Associations are ordinarily carried out;

(iv) Service be also effected on the Office Bearers of the MEITEI Extremist Organizations at their addresses or if under detention through the Superintendent (Jail) concerned and by publication of the notices in National daily newspapers one in English and one in a prominent local paper in vernacular language, which is under circulation in the State of Manipur;

(v) By making announcement on All India Radio and telecasting on Doordarshan from the Local Broadcasting and Transmission Stations of the State of Manipur;

(vi) Notice should also be serviced by pasting the same on the Notice Board of the Office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil, as feasible.

7. The Tribunal also directed its Registrar to supervise the service of notices. The report of the Registrar as regards service of notices was also filed. The affidavit of service was also filed by the State of Manipur and by the Union of India.

8. From the material placed on record as well as report of the Registrar of the Tribunal, the Tribunal was satisfied that the notices had been duly served on the aforesaid organisations/associations as per the directions of the Tribunal as prescribed under Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rule, 1968.

9. In spite of the opportunities having been afforded by orders dated 20-12-2007, 8-2-2008 and 10-3-2008, to the MEITEI Extremist Organizations to file their replies/affidavits and have themselves represented before the Tribunal on the dates of hearing, none of the organisations has made any appearance, nor any cause has been shown in response to the notice.

10. In the hearing of the Tribunal held at Shillong on 4-4-2008, the following officers of the Government of

Manipur, who had filed their affidavits by way of evidence were examined on oath and their depositions were recorded:

AW-1 Mr. M. Yaiskul Meitei, Joint Secretary (Home), Government of Manipur;

AW-2 Mr. Yogeshchandra Haobijam, SDPO, Thoubal, Imphal;

AW-3 Mr. N. Manimohan Singh, SDPO. Jiribam, Manipur;

AW-4 Mr. Ishak Shah, SDPO, Bishnupur District, Manipur;

AW-5 Dr. Akoijam Jhalajit Singh, SDPO, Imphal West, Manipur;

AW-6 Mr. Mohd. Feroz Khan, SDPO, Chandel, Manipur.

11. The evidence of Mr. R. R. Jha, Director in the Ministry of Home Affairs, could not be recorded in the said hearing at Shillong because of bereavement in his family and his evidence was recorded in New Delhi on 21st April, 2008, as AW-7.

12. During their examination-in-chief, all these witnesses admitted their signatures on their respective affidavits and tendered their affidavits along with all the exhibits mentioned therein and enclosed therewith as a part of their evidence.

13. Nobody for the aforesaid MEITEI Organizations appeared before the Tribunal for the cross examination of the witnesses in spite of opportunities as aforesaid. The witnesses were therefore discharged. Since no representation, communication or any document had been received from the aforesaid extremist organisations, either by this Tribunal or its Registrar, the evidence was thus concluded.

14. Arguments on behalf of Union of India were addressed by Mr. P.P Malhotra, ASG and Mr. Rajeev Mehra, and by Mr. K.H. Nobin Singh on behalf of State of Manipur. The learned counsels have requested for the confirmation of the notification dated 13th November, 2007 whereby the aforesaid MEITEI Extremist Unlawful Organization had been declared as Unlawful Organizations.

15. I have gone through the documentary evidence placed on record and the affidavits and oral evidence adduced by the Union of India and the State of Manipur.

16. AW-1 [Mr M. Yaiskul Meitei, Joint Secretary (Home), Government of Manipur] in his evidence affidavit has stated that the problem of insurgency has existed in Manipur for several years and is the creation of the aforesaid MEITEI Extremist Organisations. It was stated by him that the main objective of these organizations is to secede Manipur from the Union of India and for the formation of an independent sovereign country. In other words, the liberation of the State of Manipur from the dominion of India. It is further stated by the said witness that in order to achieve this objective, the said MEITEI Extremist Organisations have been indulging in various unlawful activities, such as intimidation, extortion of money from the general public, terrorization of the people by their acts of killing of innocent people, Government employees, police personnel and the personnel belonging to the security forces, kidnapping and abduction of top ranking Government officials, businessmen and the members of the well-to-do families for the purposes of ransom. It has also been stated that the said MEITEI Extremist Organisations had been receiving assistance, from foreign countries by way of shelter and sanctuary, training, procuring of arms and ammunitions.

17. With regard to the Revolutionary People's Front and the People's Liberation Army (PLA), it has been stated that these organizations have training centres in Myanmar and along the Indo-Burma Border. It is also stated that RPF is the political wing and that PLA is the armed wing. Both these wings are part of the same organization. It has been stated that the combined strength of these wings is of about 2000 persons, including about 100 women activists and the modus operandi is to move in two wheelers or hijack four wheelers with small arms or automatic weapons in the town areas and the outskirts. It is also stated that sometimes the members of these wings move openly in groups wearing combat dresses with full gear and arms and they attack police stations/outposts and lay ambush against the security forces. They are said to have close links with other similar organizations, such as UNLF, PREPAK, ULFA, TPDF, KYKL, KCP, etc. It is also a member of the MPLF (Manipur People's Liberation Front) which was formed on 1-3-1999 by a joint declaration signed by the Chairmen/Presidents of the PREPAK, RPF and UNLF. It has further been stated by AW 1 that these two wings have more than 1000 sophisticated weapons like AK/47, AK/56, AK/86, M-16, M-18, M-21/22, M/20, M/23, LMG and Rocket Launchers in addition to about 2000 other arms.

18. Similar statements have been made by the said AW-1 with regard to UNLF, PREPAK, KYKL and KCP.

19. Insofar as the Manipur People's Liberation Front (MPLF) is concerned, it is stated by AW-1 that the organization is a combination of PREPAK, UNLF and RPF. The avowed aims and objectives of this outfit are to remove the slow progress of liberation struggle because of lack of unity among the revolutionary parties resulting in confusion among the public; to constitute a permanent body having two representatives each from the leading organizations to formulate common policies and programmes; formation of an executive committee to execute the decisions of the MPLF; integration of financial policies and programmes to be looked after by a Financial Affairs Committee.

20. Alongwith the evidence affidavit of AW-1, copies of FIRs registered against the MEITEI Extremist Organisations for the period 13-11-2005 to 30-06-2007 have been filed and the same have been marked 'as Exhibits P/1(1) to P/1(79). Copies of the cash receipt, press releases, call to boycott India's Independence Day, Non-Immigrant Residential Permits issued by RPF/PLA, Annual Statement of the Central Committee of the UNLF issued by the Department of Publicity UNLF, Manipur, both in English and Manipuri and demand letters issued by KCP have also been exhibited as Exhibits P/2(1) to P/2(48). Newspaper clippings reflecting the activities of the MEITEI Extremist Organisations have also been submitted by way of evi-

dence and the same have been marked as Exhibits P/3 (1) to P/3 (20).

21. It has been deposed by AW-1 that in spite of the sincere efforts being made by the Government of Manipur and the Government of India, they have not been successful in putting an end to the unlawful activities of these organizations. It has been stated that of late, the activities of these organizations have increased and, therefore, the need to declare these organizations as unlawful exists even today so as to enable the Government of Manipur to deal with the law and order problems effectively.

22. AW-2 [Mr Jogeshchandra Haobijam, SDPO, Thoubal, Manipur] deposed through the affidavits dated 5-3-2008 that he is the Investigating Officer of the FIR Case No. 109(8)06 TBL P.S. U/s 302/34 IPC, 3 Expl. sub-Act 16(1)(a) UA(P) Act 2004. He has stated that the brief facts of that case relate to the death of Naik Subedar (General Duty) Ajit Sangma of the Assam Rifles who was killed due to the explosion of an Improvised Explosive Device (IED) near Wangjing on National Highway No. 39 on 9-8-2006 at about 06.40 hrs. The said AW-2 stated that during the course of investigations and interrogations, one Samandram Jagat Sing who was arrested revealed that he was an active member of UNLF. It is further stated that during the interrogation of the said accused person, the latter admitted to have committed the offence and he also admitted that he was involved in other cases, inter alia, under Sections 307/34 IPC and under Sections 302/34 IPC respectively.

23. Similarly, the second affidavit of AW-2 relates to FIR case No. 24 (2)06 TBL P.S. u/s 302/307/326/395/427/34 IPC, 3/4 Expl. Sub-Act 25(1-C)A. Act & 16 (1) (a)/20 UA(P) Act' 04. The said case relates to an ambush laid upon Inspector N. Lokhon Singh OC-CDO/Thoubal and his party while he was on patrol duty on his allotted Gypsy vehicle. The alleged incident is said to have taken place on 20-2-2006 and it is stated that the said patrol party was fired upon as well as hand grenades were hurled. The security forces retaliated and the encounter lasted for about 5 minutes. An unknown youth was killed in the encounter and an M-20 pistol with 10 rounds of M-20 ammunition was found in his possession. In that incident, Inspector N. Lokhon Singh, Md. Noor Mohamed and Md. Mujibur Rahman of the patrol party succumbed to the injuries at the spot. Three other escort personnel were also injured.

24. AW-3, AW-4, AW-5 and AW-6 have also deposed similarly with respect to different FIRs.

25. AW-7 [Mr R.R. Jha, Director to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, New Delhi] has deposed on behalf of the Central Government. In his evidence affidavit, he has stated that in Manipur, the Meiteis are numerically predominant community forming more than 60% of the total population. The MEITEI Extremist Organisations are involved in the secessionist movement with a declared aim of forming an independent Manipur. It is stated that the UNLF, PLA and PREPAK together form an umbrella organization called the Manipur People's Liberation Front (MPLF). It has been further stated that the MEITEI Extremist Organisations have been engaging in armed means to achieve their objectives and the security forces remain their prime targets. AW-7 further stated that the said MEITEI Extremist Organisations have been extorting huge amounts of money from businessmen, traders, other civilians and Government employees. During the year 2007 (uptil 30-6-2007), the said organizations were responsible for 68% of the total violent incidents and 71% of the total killings in the state and have also been indulging in siphoning off Government funds meant for the development of by intimidating the contractors, bureaucrats and political figures of Manipur. It has also been stated by AW-7 that every year, these organisations have been boycotting the Independence Day and Republic Day celebrations. Due to the violent activities of these organizations, a fear psychosis is said to prevail amongst the local populace of Manipur which has impeded the pace of economic development in the State. The details of major incidents committed by the organisations in 2007 upto 21-6-2007 have been given in Annexure-I to the said affidavit by way of evidence. It comprises of a series of 101 separate incidents listed in chronological order involving one or more of the said MEITEI Extremist Organisations.

26. The said AW-7 also deposed to the effect that the MEITEI Extremist Organisations maintain close links with each other and other Extremist Organisations in the North-East, such as Issac Muivah faction of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) - Khaplang faction, United Liberation Front of Asom (ULFA), All Tripura Tiger Force (ATTF) and National Liberation Front of Tripura (NLFT). The said witness also deposed that the PLA / RPF, UNLF, PREPAK, KCP, KYKL and MPLF have camps in neighbouring countries, such as Bangladesh and Myanmar. They procure arms and ammunitions from these countries besides China and Thailand. They continue to make efforts to establish and sustain contacts with foreign elements with a view to securing assistance in their unlawful activities.

27. I have also examined the secret documents which had been handed over by the Central Government in a sealed cover.

28. The evidence led on behalf of the Central Government and the Government of Manipur has not been controverted. There is nothing on record to contradict the same. I have also no reason to disbelieve what has been stated by the various witnesses and the documentary evidence which has been filed in support of the oral testimonies and the evidence affidavits.

29. After considering the entire evidence and all the material on record, I am of the view that there was sufficient cause for declaring the MEITEI Extremist Organisations to be unlawful. Consequently, the declaration made in the Notification No.1922(E) dated 13-11-2007 issued under Section 3 (1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 by the Central Government is confirmed.

9-5-2008 BADAR DURREZ AHMED, Tribunal

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.